

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddu@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 2892 / FP/UK/ROAD/10931/2015 : देहरादून: दिनांक: 3/6/2022

श्रीवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद- पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र), 25-सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/84/2018/एफ०सी०/296 दिनांक 10/05/2019।

गहोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-2656/12-1 दिनांक 19.05.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.84 हे० ग्राम- फलदाडी, सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-2656/12-1 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक संख्या-3466/26-प्रशा०-अधि०(सा०प्रशा०/2014.15)/दिनांक पौड़ी 26-06-2015 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है। संलग्नक :- प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। संलग्नक :-
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-2656/12-1 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि एन०पी०वी० की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल द्वारा प्राप्त डिमांड नोट के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गई है। संलग्नक :-
3	राज्य सरकार वृक्षों की गणना की सूची जो ऑनलाइन पार्ट-II में 178 वृक्षों के लिए अपलोड	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-2656/12-1 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा

	की गयी है वही सूची हार्ड कॉपी में भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य से प्रभावित होने वाले 178 वृक्षों की सूची हार्ड कॉपी में संलग्न प्रेषित है। <u>संलग्नक :-</u>
1	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित अह्नलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA cost, NPV etc. को बैंब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित आनलाईन बैंक में जमा की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। <u>संलग्नक :-</u>
6	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>

विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों

7	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
8	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.84 है० ग्रम- फलदाडी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 4927 के अन्तर्गत आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास गजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है।

		<u>संलग्नक :-</u>
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार पीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back Bearing अंकित किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
11	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टहफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
12	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
13	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दशाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
14	कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 178 से अधिक न हो।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
15	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है। <u>संलग्नक :-</u>
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वचनबद्धता संलग्न है।

		संलग्नक :-
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम / न्यायालय आदेश अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोजित एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वधनबद्धता संलग्न है। संलग्नक :-
18	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या-२६५६/१२-१ दिनांक १६.०५.२०२२ के द्वारा अवगत कराया गया है कि वधनबद्धता संलग्न है। संलग्नक :-

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- २०१२ / FP/UK/ROAD/10931/2015 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

G/C